

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-10/2011/16 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची-चार के शीर्षक (क) श्रम के कॉलम (2) में, शब्द एवं अंक “(1) सहायक श्रम पदाधिकारी (2) स्टैनोग्राफर वर्ग-2 (3) कार्यालय अधीक्षक” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “(1) सहायक श्रम पदाधिकारी (2) कार्यालय अधीक्षक” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-10/2011/16(पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-10/2011/16(पार्ट), दिनांक 17-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

Atal Nagar, the 17th September 2020

NOTIFICATION

No.F1-10/2011/16 (Part).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Labour (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

In column (2) of heading (A) LABOUR of Schedule-IV, for the words and figure “(1) Assistant Labour Officer (2) Stenographer Class-2 (3) Office Superintendent”, the words and figure “(1) Assistant Labour Officer (2) Office Superintendent” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SONMONI BORAH, Secretary.